विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला—नैनीताल

उपस्थित 1—बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2—हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या—76 / 2025
पंजीकरण तिथि—30.05.2025
निर्णय तिथि—08.07.2025

मै0 डालाकोटी मिनरल्स एण्ड केमिकल्स परिवादी
जीतपुर नेगी, रामपुर रोड़
हल्द्वानी
जिला—नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि मेरी इकाई DALAKOTI MINERALS & CHEMICALS जीतपुर नेगी रामपुर रोड में स्थित है तथा मैं आपके विभाग का एक नियमित विद्युत उपभोक्ता हूँ। मेरी उपभोक्ता संख्या—390K00000687 है। हाल ही में मुझे विद्युत विभाग द्वारा अधिभारित लोड (Excess Load) से संबंधित एक सूचना / बिल प्राप्त हुआ है, जिसमें लोड सामान्य से अधिक दर्शाया गया है। विभाग से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 07.03.2025 को दोपहर 12:00 बजे लोड अधिक रजिस्टर हुआ है। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि उक्त तिथि पर पूरे माह में हमारे यहां पिछले महीनों की तुलना में उत्पादन भी कम रहा है, और इस अवधि में कोई नया विद्युत उपकरण भी नहीं जोड़ा गया है, न ही वास्तविक लोड में कोई वृद्धि की गई है। इससे स्पष्ट है कि अधिभारित लोड की यह स्थिति किसी तकनीकी त्रुटि, मीटर की खराबी अथवा विद्युत प्रणाली में किसी अन्य गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हुई है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस अधिभारित लोड की राशि को निरस्त (Cancel) करने की कृपा करें। आपकी सहायता के लिये सदा आभारी रहूंगा।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 10.06.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता का स्वीकृत भार 198 केवीए है। माह 12 / 2024 से 05 / 2025 तक उत्पादन के आधार पर

विद्युत खपत अधिक होने के कारण विद्युत की मैक्सिमम डिमांड 228 केवीए से बढ़कर 312 केवीए तक की गयी है। दिनांक 02.05.2025 को उपभोक्ता के परिसर पर स्मार्ट मापक भी लगाया जा चुका है। स्मार्ट मापक में वर्तमान खपत के आधार पर मैक्सिमम डिमांड 138.54 केवीए गई है। उपभोक्ता का मापक खपत के आधार पर सही कार्य कर रहा है।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 16.06.2025 में कहा गया है कि निवेदन इस प्रकार है की माह मार्च 2025 में अप्रत्याशित भार देखने से, हमको परेशानी हुई, जबकि विगत 6 माह में कभी सीमा भीतर व कुछ ज्यादा डिमांड दर्शायी गई है। जिसे हमारे द्वारा जमा किया जाता रहा, केवल माह मार्च में ज्यादा ही डिमांड आने पर जो एक क्षणिक रही होगी, के आधार पर हमको अपना पक्ष आपके समक्ष रखने को विवश होना पड़ा। महोदय हम विद्युत विभाग की टेक्निकल प्रक्रिया से पूर्णतया अनभिज्ञ है, तथा विभाग द्वारा पुनः स्मार्ट मीटर भी लगाया गया है, उसकी रीडिंग भी विभाग द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत की है। अतः महोदय से निवेदन है कि मंच अपने स्तर से प्रक्रिया को समझते हुए उचित निर्णय देने की कृपा करेंगे व प्रार्थी के इस अप्रत्याशित बिल को कम करने हेतु निर्णय देने की भी कृपा करेंगे।

Sr. No.	Month	Producation/Sale(MTS)	Unit	Electricity Bill
1	January	479.08	17325	238408
2	Febuary	606.25	30702	372553
3	March	422.96	26790	333607
Total		**1508.29**	**74817**	**944568**

4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 02.07.2025 में पूर्व में प्रस्तुत उत्तर पत्र के कथनों की पुनरावृति करते हुये माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कुमाऊं क्षेत्र, हल्द्वानी के आदेशानुसार दिनांक 06.03.2025 से 07.03.2025 दो दिनों की मापक लोड सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है (कागज संख्या–9/1 से 9/4)।
5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.2025 की तिथि नियत की गयी। परिवादी अनुपस्थित रहे, विपक्षी उपस्थित। सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा कहा गया कि परिवादी की दिनांक 06.03.2025 एवं 07.03.2025 कि लोड सर्वे रिपोर्ट पूर्व से ही मंच के आदेश पर प्रस्तुत की जा चुकी है। लोड सर्वे में भी स्पष्ट है कि परिवादी की अधिकतम मांग 312 KVA तक रही है। अतः बिल में किसी प्रकार का मांग आधारित संशोधन संभव नहीं है।
6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी के मापक की लोड सर्वे रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को सही बीजक भेजा गया है तथा यह मंच परिवादी की Excess Load की राशि को समाप्त करने की मांग पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेष प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत

औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांकः–08.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–81/2025
पंजीकरण तिथिः–16.06.2025
निर्णय की तिथिः–08.07.2025

त्रिभुवन कुमार पन्त — परिवादी
पुत्र स्व0 श्री मोहन चन्द्र पन्त,
आदर्शनगर, तल्ली बमौरी हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि निवेदन है कि हमारा विद्युत संयोजन संख्या–391A115054863 श्री मोहन चन्द्र पंत के नाम से है, जिसका दि0 13–01–2025 से दि० 21–03–2025 तक का बिल 6019.786/–दिया गया है जो कि सामान्य से अधिक है। संशोधन हेतु हीरानगर कार्यालय व कमलुवागांजा कार्यालय में संपर्क करने पर चैक मीटर लगाया गया जिसके अनुसार दोनो मीटरों में कोई अंतर नहीं पाया गया, तदुपरान्त मीटर की MRI जांच कराने हेतु आवेदन किया गया लेकिन मीटर काफी पुराना होने के कारण MRI संभव नहीं हो पाई, उसके बाद मीटर बदलने के सुझाव पर मीटर बदल दिया गया है।

महोदय उपरोन्त बिल तिथि से पहले व बाद के बिल सामान्य रूप से ही प्राप्त हो रहे हैं। कार्यालय में संपर्क करते पर बताया गया कि उक्त बिल मीटर में स्टोर यूनिट का है जिसे मीटर रीडर द्वारा गलत तरीके से दिया गया है।

महोदय मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ उक्त राशि का बिल जमा करने में असमर्थ हूँ। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त बिल की जांच कर बिल संशोधन कर न्याय दिलाने की कृपा करे, जिससे समयानुसार बिल जमा किया जा सके, प्रार्थी महोदय का आभारी रहेगा।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि मंच के आदेशानुसार ही माह 03/2025 से नया मापक बदले जाने की तिथि दिनांक 13.06.2025 तक नए मापक की औसत यूनिट्स के आधार पर संशोधित किया जा चुका है।
3. दिनांक 08.07.2025 को मंच में उभय पक्षों की सुनवाई की गयी। विपक्षी द्वारा बताया गया कि परिवादी का बीजक संशोधित किया जा चुका है। संशोधन के बाद परिवादी पर कुल बकाया 8338.64 रुपया है। सुनवाई के समय परिवादी ने विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि जताते हुए वाद को समाप्त करने का अनुरोध किया।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 08/07/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः— 08/07/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1– विपु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–82 / 2025
पंजीकरण तिथि:–17.06.2025
निर्णय की तिथि:–21 .07.2025

भूपेन्द्र कुमार भट्ट, परिवादी
सी0एम0टी0 कालौनी, गली नं–02,
डहरिया, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि– मैं वर्ष2015 में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम से अधिशासी अभियन्ता पद पर सेवानिवृत हुआ हूँ। मेरे द्वारा सेवानिवृति के पश्चात विद्युत संयोजन लिया गया है। (संयोजन संख्या 397UPCT 150034)। उक्त संयोजन का नियमित बिल भुगतान मेरे द्वारा किया गया है। दिनांक 25–12–2020 को मेरे निवास पर पुराना मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगाया गया है। उक्त की सीलिंग प्रमाण पत्र संलग्न है । उक्त तिथि के पश्चात मुझे माह फरवरी में एक बिल पुराने मीटर के आधार पर प्राप्त हुआ था। किन्तु उक्त तिथि के पश्चात न तो मुझे कोई विक प्राप्त हुआ और न ही डिपार्टमेटल फिक्स्ड चार्जेज जमा कर पा रहा हूँ। अतः आपसे अनुरोध है उक्त के संबंधस में आवश्यक कार्यवाही कर मुझे बिल प्रदान करने की कृपा करें।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि:– उपभोक्ता का विधुत संयोजन संख्या–397UPCT150034 का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता की स्मार्ट मीटर की सीलिंग की ऑनलाइन में प्रविष्टी नहीं हो पाई थी, जिस कारण से बिलिंग नहीं हो पा रही थी। स्मार्ट मीटर की सीलिंग की ऑनलाइन में प्रविष्टी का कार्य अदानी कंपनी कर रही है। उपभोक्ता की सीलिंग ऑनलाइन में प्रविष्टी हेतु दे दिया गया है। माह 07/2025 की बिलिंग में सीलिंग की ऑनलाइन में प्रविष्टी के साथ ही नए मापक की रीडिंग का बिल दिनांक 06/07/2025 के बाद उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में उपभोक्ता से दूरभाष पर सम्पर्क कर लिया गया है, इस पर उन्होंने अपनी सहमती जताई है।
3. परिवादी द्वारा संतुष्टि पत्र में कहा गया है कि:– Satisfied. Thank you very much. Kindly close the case.
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की बिलिंग/मीटरिंग से संबंधित शिकायत का समाधान कर दिया गया है। परिवादी ने भी इस पर संतुष्टि व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:– 21.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांक:– 21.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला—नैनीताल

उपस्थित 1—विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2—हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या—84 / 2025

पंजीकरण तिथि—19.06.2025
निर्णय की तिथि- 08.07.2025

सुष्मिता चड्डा
डाक बंगलो रोड़
रामगढ़
जिला— नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि "With reference to the above I advise that the sanctioned load of my domestic connection (Consumer No 40113961742) was enhanced from I KW to 3 KW earlier this year and my bills include an additional amount for security deposit. I called the UPCL call centre and found out that the security deposit payable has been incorrectly calculated. Although my total billing for last year averages less than Rs 2000 per month, the security deposit has been calculated at Rs 21681/, as the total billing includes an incorrect bill of Rs116102/- in February 2025 which was subsequently cancelled.

It is therefore requested:

1. The security deposit amount may be corrected immediately under advice to me.
2. As Rs 6395 has already been billed as security deposit, the excess amount already received may be refunded.
3. The bill dated 14th June 2025 may be revised to exclude any further security deposit so that I can pay it before the last date.

The matter is to be treated as most urgent. We are senior citizens and feel harassed. First the bills were not being generated for months which got rectified after complaint and after that we are being billed for inflated amounts."

क्रमशः

2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 30.06.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या–591RT17077528 में अतिरिक्त जमानत धनराशि को उपखण्ड कार्यालय द्वारा मैन्युअल संशोधन कर दिया गया है जिसके उपरांत ऑनलाइन स्वीकृति हेतु खण्ड कार्यालय को प्रेषित किया गया। उक्त धनराशि को ऑनलाइन स्वीकृति जो विद्युत वितरण खण्ड नैनीताल (राजस्व) के कार्यालय से की जानी है जिसमें कुछ तकनीकी समस्या उत्पन्न हो रही है। उक्त समस्या का समाधान करने हेतु RAPDRP देहरादून के कार्यालय को संपर्क कर अवगत कराया गया है। जिसमें समय लगा सम्भव है। RAPDRP देहरादून से समस्या का समाधान होते ही उक्त धनराशि को ऑनलाइन स्वीकृति कर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।
3. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त उत्तर पत्र दिनांकित 03.07.2025 में कहा गया है कि उक्त प्रकरण में उपभोक्ता की जमानत धनराशि को शून्य कर दिया गया है, उपभोक्ता की शून्य की गई जमानत धपराशि आगामी माह (07 / 2025) के बिल में प्रदर्शित होगी। उपभोक्ता का पूर्व का बिल दिनांक 08.06.2025 को निर्गत किया गया है। वर्तमान में उपाकालि0 के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में (PD) स्थाई विच्छेद किए बिना जमानत धनराशि को वापस की जाने की प्रणाली (Option) प्रदर्शित न होने के कारण खण्ड स्तर से जमानत धनराशि को वापस किए जाने संबंधित कार्यवाही नहीं हो पायी। उक्त प्रकरण में अधिशासी अभियंता, RAPDRP देहरादून के कार्यालय को दूरभाष एवं ईमेल के माध्यम से भी अवगत कराया गया है जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है की जमानत धनराशि को CCBR adjustment से संशोधित कर वापस किया जा सकता है। उपभोक्ता के जमानत धनराशि को CCBR adjustment से संशोधित करने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें लगभग 2 दिवस का समय लग सकता है। माननीय मंच से अनुरोध है कि उपभोक्ता को निर्देशित करें कि वह बैंक खाता संख्या विवरण (Photo copy of bank passbook) खण्ड कार्यालय को देने का कष्ट करें इसके उपरान्त ही भुगतान किया जाना सम्भव हो पायेगा।
4. परिवादी द्वारा दिनांक 08.07.2025 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर / संतुष्टि पत्र में कहा गया है कि " Thank you. Excess amount charged by UpCL I. e. Rs 4385/ has been credited to my account. Kindly close the complaint. Hard copy of the bill may please be delivered every month by Bhowali sub office. It's not being done on a regular basis which was the reason why we did not come to know about the overcharging. Suggestion - security deposit amount and its calculation should be invariably shared with the customers. It's a very opaque process. Customer needs to know the details of the payment being made by him. We as senior citizens had a harrowing time."
5. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों / अभिलेखों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया जिससे स्पष्ट है कि परिवादी की समस्या का निराकरण किया जाा चुका है जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा दिनांक 08.07.2025 को प्रेषित ईमेल से भी होती है। अतः विपक्षी / विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने तथा परिवादी द्वारा विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरुप वाद निरस्तारित किये जाने योग्य है।

क्रमशः

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निरस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 08/07/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में लिखित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 08/07/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–88 / 2025
पंजीकरण तिथिः–23.06.2025
निर्णय की तिथिः–08.07.2025

महेश चन्द्र शर्मा व अन्य, परिवादी
टेल कालौनी, हरी पुर वार्ड संख्या–43,
कुसुमखेडा हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है हरीपुर नायक (निकट गोविंदपुर गरवाल देवी मंदिर के से श्री मदन पांडे जी के घर तक विद्युत लाइन की तारे जगह–जगह झूल रही हैं क्योंकि पोलों की दूरी काफी है, जिसकी सूचना कई बार विद्युत उपखंड के अवर अभियंता को दे दी गई। तथा गत नवंबर 2024 में जनता दरबार में जिला अधिकारी महोदया के सामने भी इस समस्या को रखा गया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदया द्वारा इस समस्या को शीघ्र समाधान के निर्देश अवर अभियन्ता महोदय को दिया गया था। लेकिन सात माह बीत जाने के बाद भी विद्युत विभाग ने इस समस्या का समाधान आधे हरीपुर नायक में तो कर दिया लेकिन टेल में स्थित गोविंदपुर गरवाल देवी मंदिर से श्री मदन पांडे जी के घर तक की लाइनें अभी तक भी जैसी की तैसी है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त समस्या का समाधान वर्षात से पहले करने हेतु विद्युत विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें। ताकि कोई दुर्घटना न हों।

2. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया कि शिकायत के आधार पर उपखंड अधिकारी कमलुवागांजा द्वारा तत्काल ही स्थल निरीक्षण कर लंबी लाइन के झूलते तारों को सही करवाया गया, लाइनों से छू रहे पेड़ों की लोप्पिंग भी करवा दी है। ए0बी0सी0 केवल हेतु कार्य प्रगति पर है। आवेदनकर्ता के प्रतिनिधि श्री सुरेश कोठारी से वार्ता के दौरान उन्होंने अपनी संतुष्टि व्यक्ति की है।

3. परिवादी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में कहा गया कि आज दिनांक 04.07.2025 तक विभाग द्वारा समस्या का पूर्ण समाधान नहीं किया गया है, केवल जो पेड़ विद्युत की खुली तारों को छू रहे थे उनकी शाखाओं को कटवा दिया गया है, बाकी समस्या अभी तक ज्यों की त्यों ही बनी है। अभी तक दिनांक 02.07.2025 को अधिशासी अभियंता कार्यालय बिलासपुर में भी समस्त कॉलोनी वासियों की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त वाद को तब तक बंद नहीं किया जाए, जब तक विद्युत विभाग समस्या का पूर्ण समाधान नहीं कर लेता है।

4. दिनांक 08.07.20205 को मंच में उभय पक्षों की सुनवाई की गयी विपक्षी / विभाग द्वारा कहा गया कि परिवादी की शिकायत के आधार पर उपखण्ड अधिकारी कमालुवागंजा द्वारा तत्काल ही स्थलीय निरिक्षण कर लम्बी लाइन के झूलते तारों को सही करवाया गया जिस पर शिकायतकर्ता ने भी अपनी सहमति दी है, साथ ही लाइनों से छु रहे पेड़ो की लोप्पिंग भी करवा दी गयी है। AB केबल कार्य हेतु क्षेत्र में पूर्व में ही सर्वे करा लिया गया गया है। उपखण्ड अधिकारी कमालुवागंजा द्वारा बताया गया की क्षेत्रों की सर्वे के आधार पर क्रमवार से कई क्षेत्रों में AB केबल का कार्य किया जा रहा है। तत्काल ही इस क्षेत्र में भी AB केबल का कार्य भी कर दिया जायेगा।

5. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी ने परिवादी की तारों के झूलने एवं पेड़ों की लापिंग संबंधी शिकायत का समाधान कर दिया गया है। परिवादी की AB केवल संबंधी मांग मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण मंच कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। अतः वाद समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी की AB तार लगाने की याचना मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश

प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 08/07/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 08/07/2025

(हिमांशु बहुगुणा)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–89/2025
पंजीकरण तिथि–23.06.2025
निर्णय तिथि–09.07.2025

जीवन्ती देवी कन्याल — परिवादी
पत्नी समशेर सिंह
ग्राम–विदरामपुर, चकलुवा
तह०–कालांढूगी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि मेरे घर का बिजली का बिल अत्यधिक आ गया है। जिसको लेकर संबंधित विद्युत विभाग कार्यालय, कालाढूंगी में शिकायत दर्ज की गई थी। जिसमें बिजली विभाग कार्यालय से सही बिल आने की बात कही गई जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा बिजली का बिल सही करवाने की कृपा करेंगे।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांक की 04.07.2025 में कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी, वितरण वितरण उपखण्ड, कालाढूंगी ने अपने कार्यालय पत्रांक–794/ दिनांक 01.07.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्यानुसार (कागज संख्या–3/1) उपभोक्ता के संयोजन पर चैक मापक स्थापित किया गया चैक मापक एवं मेंन मापक में केवल 1 प्रतिशत का अंतर पाया गया। उपभोक्ता का बिल भी नियमानुसार ही बना है। उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री संलग्न की जा रही है (कागज संख्या–3/2 से 3/5)।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.2025 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी उपखण्ड अधिकारी, उपस्थित। सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा स्वीकार किया गया कि अप्रैल माह में 2758 यूनिट खपत का बिल स्वीकृत भार की तुलना में काफी अधिक है। उससे पूर्व एवं बाद में कभी भी इतनी खपत नहीं रही है तथा एक माह

में 2758 यूनिट की खपत संभव नहीं है। मीटर की एम0आर0आई0 करने का प्रयास किया गया परंतु एम0आर0आई0 नहीं हो पायी। अतः मीटर के असामान्य व्यवहार के बारे में तकनीकी रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी के स्वीकृत भार 3 किलोवाट के हिसाब से एक बिल चक्र में 2758 यूनिट की खपत का तकनीकी प्रमाण विपक्षी प्रस्तुत नहीं कर पाया। मीटर की एम0आर0आई0 भी सम्भव नहीं है। ऐसी दशा में परिवादी के परिसर पर MRI युक्त/स्मार्ट मीटर स्थापित किया जाना आवश्यक है तथा परिवादी का बीजक 09.03.2025 के बाद के बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों की औसत खपत के आधार पर उचित टैरिफ स्लैब से संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का मीटर बदले तथा दिनांक 10.03.2025 से मीटर बदले जाने की तिथि तक का बीजक पूर्व के तीन बिल चक्र की औसत खपत के आधार पर उचित टैरिफ से संशोधित करें। विपक्षी निणर्य/आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेष प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–09.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांकः–09.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोमाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–91/2025
पंजीकरण तिथिः–24.06.2025
निर्णय की तिथिः– 23 .07.2025

विक्रम श्रीराम, परिवादी
ग्राम गागर मल्ला रामगढ़
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1- शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि– मेरा विद्युत बिल आई0डी0एफ0 में आ रहा है। कृपया मेरे बिल को सही करने की कृपा करें, ताकि मैं अपना बिल समय से जमा कर सकूं मैं हमेशा आप आपका आभार रहूंगा।

2- विपक्षी विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया कि उपभोक्ता का खराब मापक बदलने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत अवर अभियंता मापक भवाली द्वारा दिनांक 11.07.2025 को मापक बदल दिया गया है।

3- मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी ने परिवादी का खराब मापक बदल दिया है परन्तु बिल के संबंध में कोई आख्या नहीं दी है। आईडीएफ मीटर बदलन के बाद

यदि बीजक में कई संशोधन होना है तो विपक्षी इस निर्णय के अनुपालन में संशोधित बीजक मंच में प्रस्तुत करेगा।

आदेश

विपक्षी / विभाग द्वारा परिवादी का आईडीएफ मीटर बदलकर शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। आईडीएफ मीटर बदलन के बाद यदि बीजक में कोई संशोधन होना है तो विपक्षी इस निर्णय के अनुपालन में 30 दिन के भीतर संशोधित बीजक मंच में प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:– 23.07.25

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:– 23.07.25

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.- 93 **/2025-26**

Shri/Smt..गोधन सिंह..................**Vs** **Exeutive Engineer**....नैनीताल....

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
870	25/06/ 2025	आज यह परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर .....गरमपानी........ में प्राप्त हुआ है। विपक्षी / विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक ..07.. / ..07../ 2025 तक अपना उत्तर पत्र मय ~~कन्ज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री~~ मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।	07/07/25
	07/07/2025	आदेश पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा आख्या प्रस्तुत कर कहा गया कि परिवादी जिस पोल को बदलने के लिए कह रहा है वह सही अवस्था में है। परिवादी ने पोल के समीप टिन शेड का निर्माण कराया है अतः उसे शिफ्ट कराने हेतु वह जीर्ण शीर्ण होने की बात कह रहा है पोल से कोई खतरा नहीं है। मंच ने पत्रावली का अवलोकन किया। यह फोरम विद्युत पोल के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं कर सकता अतः वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	नि०-मेल

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.- 94 **/2025-26**

Shri/Smt. सुरेश चन्द्र ....**Vs** **Exeutive Engineer**...नैनीताल...

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
सुरेश चन्द 870	25/06/2025	आज यह परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर ....धारमपानी.......... में प्राप्त हुआ है। विपक्षी/विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक ..07../..07/2025 तक अपना उत्तर पत्र ~~मय कन्ज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री~~ मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।	07/07/25
	7.7.2025	आदेश पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षी द्वारा बिजली के झूलते तारों को ठीक कर परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। साथ ही पी०आई० वायर बदलने हेतु भी प्राक्कलन तैयार कर दिया गया है। अतः वाद निस्तारित होने योग्य है। समस्या समाधान के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	निस्तारित

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.- 96 /2025-26

Shri/Smt. गौतम कुमार **Vs Exeutive Engineer** नैनीताल

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
Grimar Manoj 890	25/06/2025	आज यह परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर गरमपानी में प्राप्त हुआ है। विपक्षी / विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक 07 / 07 / 2025 तक अपना उत्तर पत्र मय कन्ज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।	07/07/25
	07/07/2025	**आदेश** पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी। विपक्षी ने परिवादी का बीजक मीटर की वर्तमान रीडिंग 200 kwh के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

सदस्य (उपभोक्ता) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–98/2025
पंजीकरण तिथि–26.06.2025
निर्णय तिथि–10.07.2025

रंजन पांडे परिवादी
आर.टी.ओ. रोड
मंगला विहार
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि " Madam dear sir, as my metre was showing high units of electricity consumed. Though check metre was installed in my house however since 1 month past after the installation of check metre no reps from upcl has come to visit despite giving repitative calls to upcl. Kindly look into the grievance."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के द्वारा अपने विद्युत बिल संयोजन संख्या–392E225288713 की बिलिंग के विषय में शिकायत की गई है। उपभोक्ता के सोलर मापक की सीलिंग दिनांक 28.05.2025 को ऑनलाइन में फीड की गयी है। वर्तमान रीडिंग 446 KWH के आधार पर बिल बना दिया गया है, साथ ही उपभोक्ता को भी उपलब्ध करवा दिया गया है। अतः वाद को निरस्त करने का कष्ट करें।
3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 08.07.2025 में कहा गया है कि "Madam/ Dear sir, greetings of the day. With reference to my captioned mail. Yesterday I have received the bill . Kindly close my complaint and hope I will be receiving bills further without any time delay. Thanks and regards RANJAN PANDEY ."
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। परिवादी ने विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुये दिनांक 08.07.2025 को ईमेल के माध्यम से अपना संतुष्टि पत्र मंच में प्रस्तुत किया। अतः

विप

क्षी द्वारा की गयी कार्यवाही एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

वि **आदेश**

पक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—10.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांकः—10.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–99 / 2025
पंजीकरण तिथि–26.06.2025
निर्णय तिथि–10.07.2025

मो
हन राम — परिवादी
राधा विहार सिं
करायल चतुर ह
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि "I am writing to bring to your attention a matter of concern regarding my electricity connection. Despite repeated checks. no one from UPCL has come to take the meter reading at my premises from 2.3 months for the current billing cycle. As a result. my electricity bill has not been generated. and I am unable to view or download it online through the UPCL portal. And it's very difficult for me to pay bill of 2.3 months cause I have another expenses also so. Connection Details:- Consumer Name:-Mohan Ram. Account number:-41900869991(Domestic). Contact number:- 9756102042 or Address: Radha Krishna Vihar karayal chatur singh haldwani Uttarakhand.

This delay is causing inconvenience. I request you to kindly arrange for the meter reading to be done at the earliest and ensure that the bill is made available online without further delay. I would appreciate a prompt resolution to this issue. Please confirm once the action has been taken."

2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 07.07.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता के द्वारा अपने विद्युत बिल संयोजन संख्या–391K247154660 में अपने विद्युत के अधिक आने का जिक्र किया है। उपभोक्ता के बिल का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है –

क्रमशः

उनका विद्युत उपभोग कम से कम 200 यूनिट का है। माह 11/24 से माह 03/2025 तक बिलिंग कम यूनिट्स की हुई है साथ ही माह 06/2025 में जो बिल बना है वह अप्रैल, मई तथा जून 3 माह का 687 यूनिट्स का है। यदि उपभोक्ता को अपने इस खपत पर कोई अधिकता महसूस हो रही है, तो वह अपने परिसर में चैक मापक लगवा सकता है। वर्तमान में बिल को पूर्व से संशोधित कर दिया गया है।

3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी ने परिवादी की बिलिंग संबंधी शिकायत का समाधान कर दिया है तथा परिवादी ने भी बिल का भुगतान कर दिया है। विपक्षी ने परिवादी का बिल दिनांक 30.10.2024 से 29.06.2025 तक औसत खपत के आधार पर उचित टैरिफ स्लैब से बिल संशोधित कर मंच में आख्या प्रस्तुत की है। संशोधन के बाद परिवादी का बीजक ऋणात्मक ₹ (–310.00) ₹ हो गया है। परिवादी ने विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि जताई है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फल स्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–10.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एव उद्घोषित।

दिनांकः–10.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202506180002
पंजीकरण तिथिः–20.06.2025
निर्णय की तिथिः– 09.07.2025

कमल मेहरा, परिवादी
तल्ला रामगढ़
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि–I have applied for new connection and paid the charges almost 2 month back still not action been taken yet. Online my status is showing work complete but nothing been done on the site.
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है किः–उपभोक्ता श्री कमल मेहरा रामगढ़ द्वारा विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने से सम्बन्धित समस्या का समाधान करने हेतु शिकायत की गयी है। उक्त प्रकरण में मा० मंच को अवगत कराना है कि दि० 18.06.2025 को उपभोक्ता के परिसर पर नया मापक स्थापित कर सयोजन निर्गत कर दिया गया है। मा० मंच को सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित।
3. परिवादी द्वारा अपने प्रतिउत्तर पत्र में कहा गया है किः–As I am travelling these days and that's the reason will not able to come in person for my case will request you to kindly go through my written request which is still pending. As per my complaint is concern poles are installed but without my prior

approval. Installation teams has installed the poles according to there wish. Out of 3 poles 3rd is placed in middle of my Musroom Farm. I fail to understand why my Installation is done without my approval. Even I heard the lineman was not there and the work is done by some 3rd party workers. I request you to kindly look into the matter and give me a proper solution for the same then only I will allow to install my meter in my premises. As my land is not usable with 3rd pole in the middle.

HOW CAN ANYONE DO WORK WITHOUT INFORMING THE APPLICANT AND IF THEY DID I WOULD LIKE TO SEE THE DOCUMENT THEY GOT SIGNED.

4. परिवादी द्वारा संतुष्टि पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें परिवादी द्वारा कहा गया है कि Special thanks to Mr Bahuguna (Consumer Cell) for the efforts he put in to resolve the complaint from starting to end. As of now my complaint stands resolved with the effots from Mr Manoj TIwari (SDO Bhowali). His team has resolved the problem and meter is installed in the premises now.I would request team to resolve my consumer complaint and now I have no issues.
5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत संयोजन/मापक संबंधित शिकायत का समाधान कर दिया गया है। परिवादी ने भी इस पर संतुष्टि जताई है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 09.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 09.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case Number : 04202507030001 / 2025-26

Shri/Smt. अखिल कुमार सक्सेना **......Vs Exeutive Engineer** नैनीताल

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	03/07/25	पत्रावली पेश हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी हो। विपक्षी दिनांक 09.07.2025 तक अपना उत्तर पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। [signatures]	09/07/25
	09/07/25	**आदेश** पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन किया गया। परिवादी की विद्युतभार बढ़ाने संबंधी कार्यवाही गतिमान है, जिसे परिवादी द्वारा आवश्यक धनराशि जमा करने पर पूर्ण कर दिया जायेगा। परिवादी को विपक्षी के उत्तर पत्र की प्रति इस आदेश के साथ भेजी जावे। परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि लोड बढ़ाने की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु आवश्यक धनराशि जमा करावे। परिवाद तद्नुसार निस्तारित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signatures] सदस्य (उपभोक्ता)	

सदस्य (उपभोक्ता)
विoउoशिoनिoमo हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
विoउoशिoनिoमo हल्द्वानी

OFFICE OF THE CONSUME GRIEVANCES REDRESSAL FORUM, KUMAOUN ZONE,HALDWANI

Case No.: 4202506160001

Shri/Smt..Sanjay Adhikari V/S Executive Engineer.Haldwani(Rural)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	17.06.2025	ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। विपक्षी/विभाग को दिनांक 27.06.2025 तक उत्तर पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करें।	27.06.2025
	27/06/2025	पत्रावली पेश हुई। अवलोकित। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति परिवादी को भेजी जाय। परिवादी विपक्षी के उत्तर पत्र पर अपनी आपत्ति/प्रतिउत्तर मंच के समक्ष दिनांक 04/07/2025 तक प्रस्तुत करें।	04.07.25
	07/07/2025	आदेश पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी द्वारा दिनांकित 03.07.2025 को अपनी शिकायत का समाधान कर दिये जाने का संतुष्टि पत्र प्रस्तुत किया गया अतः वाद निस्तारित किया जाता है, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	निस्तारित

सदस्य (उपभोक्ता) विoउoशिoनिoमo हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी) विoउoशिoनिoमo हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक) विoउoशिoनिoमo हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

हल्द्वानी

जिला– नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202506160002

पंजीकरण तिथि:–16. 06. 2025

निर्णय की तिथि:– 23.07.2025

कल्याण सिंह धामी, परिवादी
लालकुआं, बिन्दुखत्ता,
जिला– नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत दिनांक 16 जून 2025 को यूपीसीएल के ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई, हालांकि परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया।
2. विपक्षी विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायत में बिल से संबंधित कोई भी बात नहीं की गयी है। पोर्टल में अपने विधुत बिल का एकाउंट संख्या–111008230117 भी गलत दी गयी है। दूरभाष न०–7500034239 पर पहले तो किसी ने फोन नहीं उठाया। पुनः दिनांक 27.06.2025 को सम्पर्क किये जाने पर किसी परिवार के सदस्य द्वारा उनके बाहर होने की बात की गयी है। शिकायतकर्ता के घर से विधुत संयोजन संख्या मांगने पर उपलब्ध ना होना बताया गया। यदि उपभोक्ता अपनी विधुत बिल से सम्बन्धित कोई भी शिकायत लेकर कार्यालय में संपर्क करते हैं, तो तत्काल ही उनकी समस्या का समाधान कर दिया जायेगा। वर्तमान में वाद को निरस्त करने का कष्ट करें।
3. परिवादी द्वारा अपने पत्र में कहा गया कि मेरा कनेक्शन नबर 42401044961 व मीटर नंबर GU435189 mDr कनेक्शन का PD नहीं हो पा रहा है कनेक्शन बंद आ रहा है मैंने

लालकुआं हल्द्वानी बिजली ऑफिस में कई बार चक्कर लगाए साथ में फाईल भी दर्ज कराया फिर भी नहीं हो पा रहा है। साथ में रिफंड भी नहीं हुआ है। तो महोदय मैं इसके बारे जानना चाहता था कि कैसे होगा।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा आख्या में कहा गया है कि उपभोक्ता के द्वारा अपने विधुत संयोजन संख्या–**392LC18699861** के पी० डी० हेतु कहा गया था। जब उपभोक्ता से इस विधुत संयोजन के पी० डी० हेतु कहा गया तो उनका कहना है की यह संयोजन पी० डी० नहीं होना है गलती से प्रर्थना पत्र में गलत संयोजन संख्या–**392LC18699861** दे दी गयी है। दो दिन के बाद खंड कार्यालय में आ कर सही संयोजन के पी०डी० हेतु सम्पर्क करेंगे। ऐसा शिकायकर्ता द्वारा दूरभाष पर कहा गया है। शिकायकर्ता द्वारा कार्यालय में सम्पर्क करते ही उक्त संयोजन के पी०डी० कर दिया जायगा।

5. परिवादी द्वारा मंच को भेजे गए अपने संतुष्टि पत्र में कहा गया है कि मेरा कनैक्शन नंबर–**392LC18699861** है कनैक्शन बंद आ रहा था। अब मेरा कनैक्शन खुल चुका है। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है साथ में मेरी कोई शिकायत नहीं है कृपया मेरी शिकायत को बंद कर दिया जाए।

6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की पी0डी0 व कनैक्शन से संबंधित शिकायत का समाधान कर दिया गया है। परिवादी ने भी इस पर संतुष्टि व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 23/07/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांकः– 23/07/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

1

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद सख्या–04202506180001
पंजीकरण तिथि–18.06.2015
निर्णय तिथि–07.07.2025

शौर्य उप्पल — प वा
इंटर का ज ड
सुन्दरखाल, मुक्तेश्वर
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हु कहा गया है कि "I have made several complaints and called local authorities at Sargakhet Mukteshwar substation informing them about current leakage which is not getting solved."
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 19.06.2025 को अवर अभियन्ता द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई जांच के दौरान किसी भी प्रकार की करंट लीकेज नहीं पाई गइी। जिसके उपरान्त दिनांक 25.06.2025 को उक्त स्थान पर पुनः अवर अभियन्ता द्वारा जांच की गई है जिसमें लाइन कार्मिक द्वारा परिर्वतक व तारों की जांच की गई है जांच में किसी भी प्रकार की करंट लीकेज की समस्या नहीं पाई गई है। उपभोक्ता को जिस परिवर्तक से विद्युत आपूर्ति दी जा रही है उससे अन्य उपभोक्ताओं को भी विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। उक्त प्रकरण में अन्य उपभोक्ताओं द्वारा करंट लीकेज से संबंधित अन्य कोई भी शिकायत नहीं की गई है। करंट लीकेज से संबंधित समस्या न होने पर उपभोक्ता श्री शौर्य उप्पल, मुक्तेश्वर द्वारा भी संतुष्टि व्यक्त की गई है।

3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 03.07.2025 में कहा गया है कि "UPCL team has done a temporary repair and I have already communication to all three members JE, SDO and EE about the same that issue is almost solved and not completely fixed 100%. JE and the team admitted there was a fault at transformer they did a fix but there is still slight current being passed in the circuit. We may request the team to completely rectify the issue or if required change the transformer. In my neighbourhood villagers are not well versed with the technicalities so the local repairing team shuts them off by stating it happens in rainy season. Although the magnitude of current is very less now and to a greater extent it is solved but it is not completely ruled out there is still current in neural network." उक्त के क्रम में परिवादी द्वारा पुनः प्रेषित ईमेल दिनांकित 03.07.2025 के माध्यम से कहा गया है कि "Hi I asked you to close the case as it was rectified to a greater extent. The team just visited and rectified the issue. We may close the case."
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है तथा परिवादी द्वारा भी संतुष्टि व्यक्त की गयी है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—07.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—07.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

सदस्य (न्यायिक)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–**बिष्णु प्रसाद डोभाल,** सदस्य(न्यायिक)
2–**हिमांशु बहुगुणा,** सदस्य (उपभोक्ता)

वाद सख्या–04202507080001
पंजीकरण तिथि–08.07.2025
निर्णय तिथि–31.07.2025

परिवादी

रमा पाण्डेय
आन्नदपुरी, फेज–2
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "My concern is related to the amount I am paying towards my electricity consumption, where I noticed that I have been paying a tcs amount I am still not able to figure why am I being levied this tcs, kindly let me know the reason for the same."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के बिल में आ रही यह धनराशि TCS की धनराशि न होकर Addition security की धनराशि है जो विगत एक वर्ष के विद्युत बिलों के औसत के अनुसार दो माह के बिल की राशि के समतुल्य धनराशि security जमा होनी चाहिए, जिसके कम होने की दशा में Addition security देय होती है, जो उपभोक्ता द्वारा एक वर्ष तक बिलों के साथ किस्तों अथवा एकमुश्त जमा की जाती है। अतः ASD है (Additional Security Deposit) details हेतु उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री की प्रति संलग्न कर प्रेषित है (कागज संख्या–3/3)।
3. परिवादी ने दिनांक 31.07.2025 को व्हॉट्सऐप के माध्यम से प्रतिउत्तर प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि "Thanks for prompt action sir. I need clarification either security money will be refunded if yes when the security money will be refunded"

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी के बिल में अतिरिक्त जमानत धनराशि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के आदेशों/विनियमों के तहत ही ली जा रही है, जो कि विद्युत संयोजन के स्थाई विच्छेद पर ही परिवादी को वापस की जा सकती है। अतः इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। तथा वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–31.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
<u>सदस्य (उपभोक्ता)</u>

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
<u>सदस्य (न्यायिक)</u>

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–31.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद **डोभाल**)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–042025071200001
पंजीकरण तिथि:–12.07.2025
निर्णय की तिथि:– 30.07.2025

आकांक्षा अधिकारी, परिवादी
रूपनगर नियर बालाजी मंदिर के पास,
मुखानी हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (ग्रामीण)।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है:– In my bill my name has been mentioned as Mrs Akansha Adhikari but in my documents and registry and in my aadhar my name is Miss Akansha Adhikari as I am still single kindly remove Mrs from my name's initials and add Miss instead of Mrs.

2. विपक्षी/विभाग अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायत में बिल में अपने नाम के आगे गलत **Mrs AKANSHA ADHIKARI** लिखकर आ रहे को संसोधित करने की बात की गयी थी, जबकि वो अविवाहित हैं। अतः विधुत संयोजन संख्या **391E114576407** में भूल सुधार कर उपभोक्ता के नाम से पहले **Miss AKANSHA ADHIKARI** लिखकर संसोधित कर दिया गया है।

3. परिवादी द्वारा अपने संतुष्टि पत्र में कहा गया है I, Akansha Adhikari, have lodged a compliment on 14/07/2025 regarding mismatch in my name on my

electricity bill or electricity bill account no.Now the same has been done from your end. Therefore I request you to kindly close my complaint.

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत संयोजन में परिवादी का नाम **Mrs AKANSHA ADHIKARI** से संशोधित कर **Miss AKANSHA ADHIKARI** कर दिया गया है। जिस पर परिवादी ने भी इस पर संतुष्टि व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 30.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में टंकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः— 30.07.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUME GRIEVANCES REDRESSAL FORUM, KUMAOUN ZONE,HALDWANI

Case No.: 04202507300001

Shri/Smt..Munni Devi **V/S** **Executive Engineer..Haldwani(R)**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	30.07.2025	ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। विपक्षी/विभाग को दिनांक 07.08.2025 तक उत्तर पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करें।	07.08.2025
	30/07/2025	आदेश पत्रावली पुनः प्रस्तुत। कार्यालय के डी०ई०ओ० द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता द्वारा पूर्व में 11/07/2025 को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से शिकायत संख्या 4202507110001 दर्ज की गयी है, जो कि मंच में गतिमान है तथा उक्त पर विभाग/विपक्षी का उत्तरपत्र भी प्राप्त हो चुका है। बावजूद इसके वही शिकायत दोबारा से वाद सं० 04202507300001 के रूप में ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करायी गयी है। दोनों शिकायतों का मंच द्वारा अवलोकन किया गया। एक ही शिकायत को परिवादी द्वारा दो बार पंजीकृत करा दिये जाने पर इस वाद संख्या 04202507300001 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी